संख्या-285/2026/2523/22-2-2023-17(166)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक यादव पुत्र श्री श्रीपाल यादव, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक यादव पुत्र श्री श्रीपाल यादव, भिखारीपुर, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई का निवासी है। प्रथम घटना में बन्दी द्वारा दिनांक 01.11.2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। द्वितीय घटना में दिनांक 12.11.2002 को बन्दी द्वारा अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर फिरौती के लिए करूणेश कुमार त्रिपाठी का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को प्रथम केस में सत्र परीक्षण संख्या-35/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अर्न्तगत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-04, हरदोई के आदेश दिनांक 07.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 2-बन्दी को द्वितीय केस में सत्र परीक्षण संख्या-551/2003 में भा०द०वि० की धारा-364ए/149 के अर्न्तगत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-तृतीय, हरदोई के आदेश दिनांक 27.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 02.07.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 23.06.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 09 दिन तथा 23 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 01.11.2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वितीय केस में दिनांक 12.11.2002 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर फिरौती के लिए करूणेश कुमार त्रिपाठी का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त बन्दी को 02 वादों में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक यादव पुत्र श्रीपाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक यादव(बन्दी संख्या-25961) पुत्र श्री श्रीपाल यादव, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-285/2026/2523(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-285/2026/2523/22-2-2023-17(166)/2025

दिनांक: 20 मार्च, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक यादव पुत्र श्रीपाल यादव, भिखारीपुर, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई का निवासी है। प्रथम घटना में बन्दी द्वारा दिनांक 01.11.2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। द्वितीय घटना में दिनांक 12.11.2002 को बन्दी द्वारा अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर फिरौती के लिए करूणेश कुमार त्रिपाठी का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को प्रथम सत्र परीक्षण संख्या- 35/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अर्न्तगत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-04, हरदोई के आदेश दिनांक 07.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 2-बन्दी को द्वितीय सत्र परीक्षण संख्या-551/2003 में भा०द०वि० की धारा-364ए/149 के अर्न्तगत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-तृतीय, हरदोई के आदेश दिनांक 27.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 02.07.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 11 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 23.06.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 09 दिन तथा 23 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस-बन्दी द्वारा दिनांक 01.11.2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुरानी रंजिश में कट्टा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस- बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2002 को अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर फिरौती के लिए करूणेश कुमार त्रिपाठी का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त बन्दी को 02 वादों में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक यादव पुत्र श्री श्रीपाल यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in